Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कनिष्ठ अभियन्ता एवं उसका दलाल 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *31 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की टोंक इकाई द्वारा आज सोमवार को देवली टोंक में कार्यवाही करते हुये विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कनिष्ठ अभियन्ता धर्मराज जैन को उसके दलाल कालूराम कहार सहित परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पैट्रोल पम्प पर लगे कनेक्शन को अवैध बताकर कार्यवाही नहीं करने की एवज में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कनिष्ठ अभियन्ता धर्मराज जैन द्वारा उसके दलाल कालूराम कहार के माध्यम से 12 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल कालूराम कहार पुत्र श्री नन्दलाल कहार निवासी डाबरकलां, देवली, टोंक (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में धर्मराज जैन पुत्र श्री प्रवीण चन्द निवासी खोहराकलां, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।